2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–06/2017

बउनवान

चतरा पुत्र भोपा जाति बंजारा निवासी फतेहपुर उप तहसील हरनावदा शाहजी जिला बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये उप तहसीलदार, हरनावदाशाहजी जिला बाराँ **(रैस्पोडेन्ट)**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री गोविन्द मुरारी गौत्तम अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– पेरोकार सरकार **(रैस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 21.11.2017

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, हरनावदा शाहजी के प्रकरण संख्या 520/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम फतेहपुर की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2072 मे खसरा नम्बर 51 की रकबा 2.00 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 2 माह (60 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 100/– रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 02.02.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट स्वंय अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय बहस पेरोकार की सुनी गई।

दौराने बहस पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन बोकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को तामील करवाई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी अतिक्रमण किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 1196/14 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.14 की पालना मे पटवारी हल्का द्वारा बेदखल कर दिया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2072 मे किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा बहाल रखी जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने पेरोकार सरकार के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, हरनावदाशाहजी द्वारा प्रकरण संख्या 520/2015 मे धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां